अति महत्वपूर्ण

संख्या–718/9–9–2021–161ज 12/23

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **निदेशक**, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उ0प्र0।
(3) **समस्त अधिशासी अधिकारी**, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक24अप्रैल, 2023

विषय– प्रदेश में आप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने एवं अन्य संबंधित गतिविधियो के लिए अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक–15.10.2012 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक–11.03.2014 तथा भारतीय तार अधिनियम 1885 को विनियमित करने हेतु संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक–15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–12/नौ–9–2018–161ज/12, दिनांक–08.02.2018 के माध्यम से 4जी ब्रॉडबैण्ड वायरलाईन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय नगर निगमों/स्थानीय निकायों द्वारा ब्रॉडबैण्ड वायरलाईन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान करने हेतु समस्त सेवा प्रोवाइडर कम्पनियों को कार्य करने की अनुमति नही दी जा रही है, जो नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक–08.02.2018 की भावना के अनुरूप नहीं है।

2. उल्लेखनीय है कि भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख–रखाव के संबंध में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार अधिनियम, 2016 को प्रदेश में अंगीकृत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक–08.02.2018 भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल डालने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी0बी0एम0) स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिये पोल लगाने के संबंध में भारत सरकार की अधिसूचना को अंगीकृत करते हुए निर्गत किया गया है, जिसे किसी सर्विस प्रोवाइडर विशेष के लिए निर्गत नही किया गया है। निर्गत शासनादेश दिनांक–08.02.2018 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त शर्ते ऐसे सेवा प्रोवाइडर के लिये मान्य होगी, जिनके लाइसेन्स को विहित सभी शर्तो के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो। उक्त से स्पष्ट है कि

शासनादेश दिनांक–08.02.2018 किसी कम्पनी विशेष/सेवा प्रोवाइडर के लिए निर्गत नही किया गया है वरन् समस्त सर्विस प्रोवाइडर जो सक्षम स्तर से लाइसेन्स प्राप्त है, पर एक समान रूप से प्रभावी है। इस कारण उक्त शासनादेश दिनांक–08.02.2018 के प्राविधानों को पुनः स्पष्ट करते हुए reiterate किया जा रहा है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक–08.02.2018 की व्यवस्थान्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने एवं अन्य संबंधित समस्त गतिविधियों के लिए सक्षम स्तर से लाइसेन्स प्राप्त समस्त सर्विस प्रोवाइडर को नियमानुसार अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

कृपया उपर्युक्त स्पष्ट की गयी स्थिति के कम में, पूर्व निर्गत निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव
Signed by अमृत अभिजात
Date: [illegible]04-2023 18:19:52
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
(2) प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
(7) वेबमास्टर नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(8) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।